

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा
उपस्थित अभिभाषकगण

3. राजीव कुल श्रेष्ठ - वादीगण
4. श्री रूप सिंह - प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :-

19/01/21

वादी की ओर श्री राजीव कुल श्रेष्ठ व प्रतिवादीगण श्री रूप सिंह श्री अधिवक्ता की उपस्थिति में आज दिनांक 19/01/21 को कपिल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निरदारे के लिए पेश होने पर पत्रावली पर उपलब्ध वादी एवं प्रतिवादीगण में वाद पत्र पर प्रतिवादी गण द्वारा प्रस्तुत जबाब व इकबाल दावा के मुताबिक स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 43 स्वर्गीय भाग सिंह के हिस्सा की कृषि भूमि वाके चक 16 एसटीजी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 118/134 में वर्णित कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।
(क) वादीगण के पिता गुरदेव सिंह को प्राप्त कृषि भूमि - चक नम्बर 16 एसटीजी, पत्थर नम्बर 73/303 (23) किला नम्बर 11, 12, 13 पत्थर नम्बर 72/303 (24) किला नम्बर 16 ता 1/3 हिस्सा
(ख) बिकर सिंह उर्फ विक्रम सिंह को प्राप्त कृषि भूमि - चक 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर 72/303 (24) के किला नम्बर 17, 24, 25 पत्थर नम्बर 72/303 (24) के किला नम्बर 16 का 1/3 हिस्सा
(ग) बलदेव सिंह को प्राप्त कृषि भूमि - चक नम्बर 16 एसटीजी के पत्थर नम्बर 73/303 (23) किला नम्बर 18, 19, 20 पत्थर नम्बर 72/303 (24) किला नम्बर 16 का 1/3 हिस्सा।

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारनुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/विरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19/01/21 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गई।

(कपिल यादव)

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़।

मिलान किया
Web Copy - Not Official

प्रमाणित प्रतिलिपि

3
रिडर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़